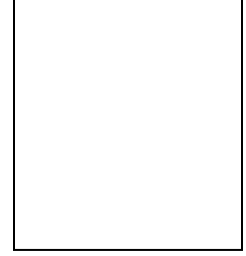


जिला चिकित्सालय जिला .....  
(निःशक्तों के लिए निःशक्तता प्रमाण पत्र)  
प्रमाण—पत्र



हम जिला चिकित्सालय .....  
के सदस्य यह प्रमाणित करते हैं कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
.....आत्मज/आत्मजा/पत्नि/अभिभावक.....  
..... की आयु .....  
निवास ..... परीक्षण किया और पाया कि  
श्री/श्री/श्रीमती/कुमारी.....  
निम्नलिखित निःशक्तता से पीड़ित है, .....

1. अंधता (दृष्टि बाधित)
2. कम दृष्टि
3. कुष्ठ रोग मुक्त
4. श्रवण शक्ति का हास (श्रवण बाधित)
5. चलन निःशक्तता (अस्ति बाधित)
6. मानसिक मंदता
7. मानसिक रूग्णता

दिनांक .....

भारत सरकार के समाज कल्याण के गजट, नोटिफिकेशन क्रमांक -4-8-86 के अनुसार  
इसकी निःशक्तता की प्रतिशत ..... शब्दों में.....

हैं तथा वह माइल्ड/मोडरेड/सीवियर/प्राफाउण्ड /टोटल (निःशक्तता की श्रेणी में नहीं आते हैं)  
यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
इंजीनियरिंग/आई.टी.आई./बी.एड./डिप्टी बी.टी.आई. पाठ्यक्रमों के अध्ययन हेतु शारीरिक रूप  
से सक्षम हैं। यह प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि से तीन वर्ष के लिए वैध रहेगा।

मुक्त बोर्ड के सदस्य

अध्यक्ष

जिला मेडिकल बोर्ड

जिला चिकित्सालय जिला .....

## निःशक्त व्यक्तियों के लिये परिचय पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

1. नाम ..... मध्य नाम .....  
(उपनाम) (प्रथम नाम) (मध्य नाम)
2. पिता/माता/अभिभावक का नाम : .....  
(जो भी लागू हो)
3. जन्म तिथि/आयु : .....लिंग.....
4. विवाहित/अविवाहित : .....
6. स्थायी पता : .....  
.....  
.....  
पत्र व्यवहार का पता : .....  
.....  
.....
7. शैक्षणिक अर्हता : .....

|                              |               |                                  |
|------------------------------|---------------|----------------------------------|
| स्कूल/महाविद्यालय/व्यावसायिक | शैक्षणिक वर्ष | उत्तीर्ण होने का वर्ष एवं श्रेणी |
| संस्थान का नाम               |               |                                  |

8. परिवार की आय : रू. .... वार्षिक .....
- (नोट : परिवार में साथ रहने वाले प्रत्येक कमाऊ सदस्य की वार्षिक आय का योग लिखें)
9. व्यवसाय (पदनाम तथा सम्पादित कार्य का विवरण दें)
10. रोजगार कार्यालय/विशेष रोजगार कार्यालय/ .....
- व्यवसायिक पुनर्वास कन्द्र में पंजीकरण क्रमांक
- 10.1 पंजीयन की क्रमांक .....
- 10.2 पंजीयन की तिथि .....
- 10.3 रोजगार कार्यालय/विशेष रोजगार कार्यालय/ .....
- व्यवसायिक पुनर्वास कन्द्र का नाम
11. पहचान चिन्ह
- (1) .....
- (2) .....
12. रक्त समूह (ब्लड ग्रुप) .....
13. निःशक्तता का प्रकार .....
- (चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र के अनुसार निःशक्तता के प्रकार का विवरण)
14. निःशक्तता की श्रेणी एवं प्रतिशत .....
15. निःशक्तता प्रमाण-पत्र का विवरण .....
- (अ) प्रमाण-पत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम .....
- (ब) जारी करने की तिथि .....
- (स) क्या निःशक्तता स्थाई है अथवा सुधार योग्य है .....
16. निःशक्त व्यक्ति/विधि द्वारा प्राधिकृत अभिभावक के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
- (1) ..... (2) .....

17. केवल कार्यालयीन उपयोग के लिए :-

निःशक्त प्रमाण-पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा

दिनांक :

जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

स्थान :

पदमुद्रा

**नोट :**

1. यह आवेदन पत्र निःशक्त व्यक्ति द्वारा परिचय पत्र प्राप्त किये जाने हेतु उपयोग में लाया जाएगा। यदि परिचय पत्र धारी व्यक्ति का परिचय पत्र खो जाता है, तो डुप्लीकेट परिचय पत्र प्राप्त किये जाने हेतु इसी आवेदन पत्र का उपयोग किया जाएगा।
2. दो पासपोर्ट आकार के छायाचित्र संलग्न करें! एक छायाचित्र आवेदन पर चिपकाया जाए तथा दूसरा आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया जाये।
3. राज्य शासन/रक्षा मंत्रालय के द्वारा अधिकृत मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी निःशक्तता प्रमाण-पत्र की छायाप्रति संलग्न करें।

# मध्यप्रदेश शासन सामाजिक न्याय विभाग

## निःशक्त व्यक्तियों का परिचय पत्र

राज्य कोड : म.प्र. जिले का नाम : ..... निःशक्तता कोड .....

जारी दिनांक : .....परिचय पत्र क्र. ....वैधता की तिथि : .....

केवल 18 साल से कम आयु के लिए

नाम : .....

जन्म दिनांक : .....

लिंग : .....

निःशक्तता का प्रकार : .....

निःशक्त व्यक्ति के  
हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

जारी करने वाले प्राधिकृत  
अधिकारी का नाम व हस्ता.

ब्लड ग्रुप : .....

दूरभाष क्र. ....

पहचान चिन्ह .....

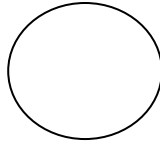
निःशक्तता कोड .....

पता : .....

### निर्देश

परिचय पत्र धारी निःशक्त व्यक्ति को भारत सरकार/राज्य सरकार/ सार्वजनिक उपक्रम एवं अन्य स्थानीय प्राधिकरण से उनके अधिनियम/नियम एवं समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत रियायत/सुविधाएँ प्राप्त होगी। यदि कोई जालसाजी कर निःशक्त व्यक्तियों को प्रदत्त सुविधाओं का लाभ लेते हुए अथवा लेने का प्रयास करते पाया जाता है तो उसे दो साल की सजा या बीस हजार तक जुर्माना या दोनों दंड से दंडित किया जा सकेगा।

मध्यप्रदेश शासन  
सामाजिक न्याय विभाग



निःशक्त व्यक्तियों का परिचय पत्र

राज्य कोड : म.प्र. जिले का नाम .....

निःशक्तता कोड ..... परिचय पत्र क्र. ....

परिचय पत्र धारी निःशक्त व्यक्ति को भारत सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक उपक्रम एवं अन्य स्थानीय प्राधिकरण से उनके अधिनियम/निमय एवं समय-समय पर जारी निर्देशों के तहत रियायत/सुविधाएँ प्राप्त होगी। यदि कोई जालसाजी कर निःशक्त व्यक्तियों को प्रदत्त सुविधाओं को लाभ लेते हुए अथवा लेने का प्रयास करते पाया जाता है तो उसे दो साल की सजा या बीस हजार तक जुर्माना या दोनों दंड से दंडित किया जा सकेगा।

राज्य कोड : म.प्र.

जिले का नाम : .....

निःशक्तता कोड : .....

परिचय पत्र क्र. : .....

जारी होने का दिनांक : .....

वैधता की तिथि : .....

केवल 18 साल से कम आयु के लिए

1. नाम : .....

2. पिता/माता /अभिभावक का नाम : .....

3. जन्म दिनांक / आयु : .....

4. लिंग : .....

5. पता : .....

(दूरभाष क्र. यदि कोई हो) : .....

6. रक्त समूह : .....
7. शैक्षणिक / व्यावसायिक स्थिति : .....
8. पारिवारिक आय : .....
9. व्यवसाय : .....
10. रोजगार कार्यालय / विशेष रोजगार कार्यालय / व्यवसायिक पुर्नवास केंद्र  
पंजीयन                                      हाँ / नहीं
- 11.1 पंजीयन क्रमांक : .....
- 11.2 दिनांक : .....
12. पहचान चिन्ह : .....
13. निःशक्तता का प्रकार : .....
14. निःशक्तता की श्रेणी एवं प्रतिशत : .....
15. जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र द्वारा : .....  
(अ) मेडिकल बोर्ड  
(ब) जारी दिनांक
16. परिचय पत्र जारी कर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान
17. परिचय पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम /  
पद नाम एवं मुद्रा

## **Details of Benefits and Concessions Provided**

| क्र. | प्रदत्त सुविधाओं का विवरण एवं दिनांक | हस्ताक्षर अधिकारी का पूरा नाम पदनाम एवं पद मुद्रा |
|------|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1    | 2                                    | 3                                                 |
|      |                                      |                                                   |
|      |                                      |                                                   |
|      |                                      |                                                   |
|      |                                      |                                                   |
|      |                                      |                                                   |
|      |                                      |                                                   |
|      |                                      |                                                   |

1. परिचय पत्र एवं पास बुक निःशक्त व्यक्तियों का बहुमूल्य दस्तावेज है, जो उनका निःशक्तता का प्रमाण है।
2. पास बुक का उपयोग सुविधाएँ एवं रियायत पात्रता अनुसार अधिकृत अधिकारी द्वारा पात्रता अनुसार दी जायेगी।
3. परिचय पत्र स्थाई हैं। आवश्यकता होने पर परिचय पत्र पते का परिवर्तन जारी किये जाने वाले अधिकारी से पत्राचार में अपने परिचय पत्र क्रमांक निःशक्तता कोड, जिला एवं राज्य कोड अंकित करें।
4. रियायत एवं सुविधाओं के संबंध में परिचय पत्र जारी किये जाने वाले अधिकारी से पत्राचार में अपने परिचय पत्र क्रमांक, निःशक्तता कोड, जिला कोड एवं राज्य कोड अंकित करें।
5. इसकी छायाप्रति तैयार करें एवं इसे सुरक्षित रखें। मूल पास बुक खोने की स्थिति में छायाप्रति का उपयोग शपथ पत्र के साथ प्रस्तुत करने के लिए दिया जाए।
6. डुप्लीकेट परिचय पत्र प्राप्त करने के लिए अद्यतन जानकारी के साथ पुनः आवेदन पत्र शपथ पत्र के साथ जारी करने वाले अधिकारी को प्रस्तुत करें।
7. डुप्लीकेट निःशक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नवीन चिकित्सा प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, यदि मूल परिचय पत्र वैद्य था तथा उपलब्ध कराये गये मूल पत्र एवं व्यक्तिगत विवरण की छायाप्रति प्रमाणित हैं।